**IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT JUDGE**
**BHOJPUR AT ARA**

**Presiding Officer- Sri Purushottam Mishra**

**Miscellnaeous.No.40 of 2025**

**Sanjay Mahto & Ors Vs State of Bihar & Ors**

| Date of Order Proceeding | Order with Signature of the Court | Office action taken with date |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | आवेदक की पैरवी है। वाद पुकारा गया। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। आवेदक के द्वारा विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु नोटिस की कार्रवाई की गयी है। इस विविध वाद संख्या–40/2025 के संदर्भ में विपक्षीगण के विरूद्ध उपस्थिति की सभी प्रकियाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं जिसमें विपक्षी संख्या–01 ता 14 उपस्थित हैं। आवेदक के द्वारा यह विविध वाद आदेश 41 नियम 19 दफा 151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है जो विविध अपील संख्या–02/2024 को पुनर्जिवित करने हेतु किया गया है। क्योंकि दिनांक 17.02.2025 को पैरवीकार के भूलवश मुकदमा में पैरवी नहीं किये जाने के कारण अदम पैरवी में खारिज हो गया है<br>अतः श्रीमान् से निवेदन है कि नम्बरी अपील संख्या–20/2018 को पुनर्जीवित नहीं होने से आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी तथा न्याय से वंचित रह जाएगा। आवेदक को इस न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसे आवेदक पालन करेगा और भविष्य में कोई भी गलती एवं विलम्ब नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में दाखिल विविध वाद को स्वीकार न विविध अपील संख्या–02/2024 को पुनर्जीवित करने की कृपा करें ताकि आवेदक को न्याय मिल सके।<br>सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा यह विविध वाद आदेश 41 नियम 19 दफा 151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत विविध अपील संख्या–02/2024 को पुनर्जीवित करने हेतु दाखिल किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के विचारोपरान्त आवेदक द्वारा दाखिल विविध वाद संख्या–40/2025 को इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि कि आवेदक मो0 1000/–रू0 बार ऐसोसिएशन, आरा भोजपुर में जमा करने पर विविध अपील संख्या–02/2024 को पुनर्जीवित किया जाता है तथा आवेदक द्वारा दाखिल विविध वाद को निस्पादित किया जाता है। कार्यालय अग्रिम कारवाई उपरान्त अभिलेख अभिलखागार में जमा करें एवं आदेश की प्रति मूल अभिलेख के साथ नत्थी करें।<br>प्रधान जिला न्यायाधीश<br>पुरूषोत्तम मिश्र | |